

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश,परिवार न्यायालय,सीतापुर।

अधिसूचना

माननीय समिति, माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 6221/एडमिन 'जी-1/2019,इलाहाबाद दिनांकित 14.05.2019 द्वारा नियम 26 (1) उत्तर प्रदेश फेमिली कोर्ट रूल्स 1995,के अनुसार परिवार न्यायालयो हेतु परामर्शीयो की नियुक्ति हेतु उ0प्र0शासन द्वारा निर्धारित निम्न शर्तो पर आवेदनपत्र आमन्त्रित किये जाते है :-

- 1- प्रार्थी/परामर्शदाता स्थानीय जनपद का निवासी हो।
- 2- प्रार्थी/परामर्शदाता समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो तथा उसे समाज सेवा का अनुभव हो, यदि कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है तथा पारिवारिक कौन्सिलिंग में 2 वर्ष का अनुभव है तो उसे वरीयता दी जायेगी।
- 3- विज्ञापन के समय प्रार्थी/परामर्शदाता की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिये।
- 4- परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिये उनके नाम का पुर्नविचार किया जायेगा।
- 5- परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नही मानी जायेगी। वह न्यायालय में संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।
- 6- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्राप्त आवेदन पत्रो को चयन हेतु संस्तुति सहित उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा जिसे माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति की जा सकेगी।
- 7- उक्त प्रक्रिया के अर्न्तगत परामर्शदाता के आवद्धता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदनपत्र स्वप्रमाणित फोटो सहित अन्तिम तिथि 31.05.2019 तक प्रशासनिक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

Sd

दिनांक 20.05.2019

(राहुल कुमार कात्यायन)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
सीतापुर।